



119
1

निगरानी प्रकरण कमांक/2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/इन्दौर/भूरा/2018/0375

घनश्यामदास सांघी मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट

तर्फे मेनेजिंग ट्रस्टी श्री शरद सांघी

निवासी- 25 पलासिया मेनरोड इन्दौर म.प्र.

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. श्रीमती महारानी उषा राजे होलकर ट्रस्ट

तर्फे अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलजीत सिंह राठौर

पिता राजेन्द्र सिंह राठौर

निवासी- 26 सी. इन्द्रपुरी कालोनी इन्दौर म.प्र.

2. राजस्व निरीक्षक वृत्त -6 इन्दौर,

तहसील जुनी इन्दौर जिला इन्दौर

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50, ^{खंड-8} मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त-6 इन्दौर तहसील - जुनी इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा सूचना पत्र प्रकरण कमांक - निरंक दिनांक - निरंक से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है।

[Signature]

श्री प्रकाश उषा राजे होलकर
जिस आज दि. 13.1.18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 6.2.18 नियत।
750
राजस्व मंडल, ग्वालियर

[Signature]
12-1-2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 प्रकरण क्रमांक: PR/जि. इंदौर/अ.स. 18/0375 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2018	<p>आवेदक आशिमता श्री एच.एन. फड़के उपास्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। तहसील न्यायालय के सूचना पत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक आशिमता द्वारा बताया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र तामील नहीं हुआ है। चूंकि आवेदक इस न्यायालय में उपास्थित हो गया है। अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही व आवेदक की आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही करे। तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाना है।</p>	<p>[क. प. उ.]</p>